राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013 जयपुर, दिनांकः 11 अप्रैल, 2019

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव, 2019 हेतु राजस्थान में दो चरणों में दिनांक 29 अप्रेल, 2019 एवं 06 मई, 2019 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य में होने वाले लोकसभा आम चुनाव, 2019 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार सूखा दिवस घोषित किया जाता है :–

1. **प्रथम चरण मतदान (दिनांक 29.04.2019) के लिए दिनांक 27.04.2019 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 29.04.2019 को सायं 6.00 बजे तक** निम्नांकित लोकसभा क्षेत्रों में :–
   12–टोंक–सवाई माधोपुर, 13–अजमेर, 15–पाली, 16–जोधपुर, 17–बाड़मेर, 18–जालोर, 19–उदयपुर (अ.ज.जा.), 20–बांसवाड़ा (अ.ज.जा.), 21–चित्तौड़गढ, 22–राजसमन्द, 23–भीलवाड़ा, 24–कोटा एवं 25–झालावाड़–बारां।
2. **द्वितीय चरण मतदान (दिनांक 06.05.2019) के लिए दिनांक 04.05.2019 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 06.05.2019 को सायं 6.00 बजे तक** निम्न लोकसभा क्षेत्रों में :–
   1–गंगानगर (अ.जा.), 2–बीकानेर (अ.जा.), 3–चुरू, 4–झुन्झुनू, 5–सीकर, 6–जयपुर ग्रामीण, 7–जयपुर, 8–अलवर, 9–भरतपुर (अ.जा.), 10–करौली–धौलपुर (अ.जा.), 11–दौसा (अ.ज.जा.) एवं 14–नागौर।
3. इसके अतिरिक्त राज्य के जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे, उन मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में।
4. पुनर्मतदान की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों में पुनर्मतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को सायं 6.00 बजे तक।
5. मतगणना दिनांक 23.05.2019 को संपूर्ण राज्य में।

आज्ञा से,

(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22)निर्वा./2018/3648 दिनांक 04.04.2019 एवं क्रमांक 4125 दिनांक 10.04.2019 के संदर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त।
9. समस्त जिला आबकारी अधिकारी।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव